

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी,

पीठासीन अधिकारी:- गोपाल परिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 08/2011

अपीलार्थीगण:-

1. रूपाराम पुत्र श्री मुकनाराम उर्फ मुकिया,
2. बालकराम पुत्र श्री कानाराम पुत्र मुकरनाराम उर्फ मुकिया,  
दोना जातियान- भील, निवासीगण- भील बस्ती, ग्राम बोरानाडा जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:-

1. मंगलाराम पुत्र श्री रावताराम,
2. शिवाराम पुत्र श्री रावताराम,  
दोना जातियान-भील, निवासीगण- भील बस्ती ग्राम पोस्ट बोरानाडा जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये संरपच बोरानाडा जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश (म्यूटेशन)

दिनांक 13.01.1972 ग्राम पंचायत बोरानाडा जो उप संरपच के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 48 पारित किया गया।

आदेश

दिनांक:- 28/6/2021



नवरतन चारण अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

अपीलार्थीगण की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि खेत खसारा संख्या 322 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बोरानाडा तहसील एवं जिला जोधपुर में अपीलार्थी संख्या एक के पिता एवं अपीलार्थी संख्या दो के दादा स्व. श्री मुकिया उर्फ मुकनाराम खातेदारी की थी, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था, जिसकी जमाबंदी अपील साथ प्रस्तुत है। अपीलार्थी संख्या एक के पिता व अपीलार्थी संख्या दो के दादा की मृत्यु होने पर अपीलार्थी संख्या एक ने व अपीलार्थी संख्या दो के पिता द्वारा फौतदगी म्यूटेशन अपने नाम पारित करने हेतु ग्राम पंचायत बोरानाडा में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत बोरानाडा ने म्यूटेशन संख्या 48 दिनांक 13.01.1972 को पारित कर अपीलार्थी संख्या एक का व दो के पिता के नाम फौतदगी म्यूटेशन पारित किया गया। जिस पर अपीलार्थी निश्चित हो गया कि अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उक्त जमीन पर बतौर मालिक काबिज है। अपीलार्थी संख्या दो के पिता की मृत्यु होने पर अपने पिता के हिस्से की कृषि भूमि पर बातौर मालिक काबिज हुआ। परन्तु अपीलार्थी संख्या दो अपने पिता की मृत्यु होने पर फौतदगी म्यूटेशन अपने नाम पारित करवाने हेतु आवेदन करना अभी बाकी था। अपीलार्थी संख्या एक के पिता व अपीलार्थी संख्या दो के दादा की मृत्यु होने के बाद अपीलार्थीगण ही उपरोक्त जमीन के मालिक व कब्जाधारी रहे हाल दिसम्बर 2007 में अपीलार्थीगण द्वारा बाई हुई फसल को काटने पर प्रत्यर्थी संख्या एक एवं दो आये व अपीलार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि अब यह फसल हम लेगे, क्योंकि हमने बहुत पहले ही उपरोक्त जमीन को ग्राम पंचायत बोरानाडा के उप संरपच तथा पटवारी से मिलकर हमारे नाम करवा दी है। अब राजस्व रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है। हमने आप का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने ही नहीं दिया। अपीलार्थीगण बहुत ही गरीब सरीफ लोग है परन्तु प्रत्यर्थीगण बदमाश प्रवृति के होने के उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर दिया, जिस पर अपीलार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वाकई अपीलार्थीगण का नाम दर्ज न होकर प्रत्यर्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कभी हुआ ही नहीं। जिस पर अपीलार्थीगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर अपीलार्थीगण को दिनांक 01.10.2007 को उपरोक्त म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई तो अपीलार्थीगण को मालूम हुआ कि अपीलार्थीगण के नाम जो म्यूटेशन पारित किया गया उसी म्यूटेशन के तहत ग्राम पंचायत बोरानाडा ने प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो के नाम बेचान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी

बताकर दर्ज कर लिया। जिस पर राजस्वरिकॉर्ड व जमाबंदी में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज न होकर प्रत्यर्थी संख्या एक व दो का नाम दर्ज हो गया। म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने की अवधि से अपील अन्दर म्याद निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं:-

#### आधार

यह है कि मुकनाराम उर्फ मुकिया के फौत होने पर ग्राम पंचायत बोरानाडा के आदेश म्यूटेशन संख्या 48 जो ग्राम पंचायत द्वजारा दिनांक 13.01.1972 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी संख्या एक व अपीलार्थी संख्या दो के पिता श्री कानाराम का नाम दर्ज किया गया परन्तु उसी दिन व उसी म्यूटेशन संख्या के तहत बेचान बताकर प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो का नाम दर्ज कर दिया व प्रत्यर्थीगण संख्या एक व दो का राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी नाम दर्ज किया गया जो विधि विरुद्ध एवं प्राकृति न्याय सिद्धांतों के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है। ऐसा म्यूटेशन विधि विरुद्ध काबिल निरस्त है। अपीलार्थी संख्या एक व अपीलार्थी संख्या दो के पिता ने उपरोक्त जमीन का कभी भी बेचान नहीं किया। प्रत्यर्थी संख्या तीन द्वारा सिर्फ बेचान 95/- रुपये लिखा गया न ही बेचान की तिथि अंकित की गई न ही पंजीयन संख्या अंकित की गई जिसे साफ जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी संख्या तीन व हल्का पटवारी ने प्रत्यर्थी संख्या एक व दो से मिली भगत कर उसी आदेश में जोड़ा गया तो अपीलार्थीगण के नाम पारित किया गया। यदि वाकई में बेचान होता तो प्रत्यर्थी संख्या तीन अलग आदेश पारित क प्रत्यर्थी संख्या एक व दो के नाम दर्ज करते समय प्रत्यर्थी संख्या तीन अपीलार्थीगण के नाम म्यूटेशन को ही प्रत्यर्थी संख्या एक व दो का मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करया जो विधि विरुद्ध व बिल्कुल फर्जी है इसलिए उपरोक्त म्यूटेशन निरस्त योग्य जिसे निरस्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या एक व दो के नाम म्यूटेशन पारित किया जो शुरू से ही अवैध है जो कि मैडेण्टरी प्रावधान की अवहेलना कर पारित किया गया है। जिसको कभी भी चलेन्ज किया जा सकता है जिसमें म्याद बिन्दु का लागू नहीं होता। परन्तु फिर भी अपीलार्थीगण सुविधा के लिए उपरोक्त अपील के साथ धारा 5 परीसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। अन्त में अपीलार्थी की ओर से अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर उप-संरपच ग्राम पंचायत बोरानाडा जोधपुर का म्यूटेशन संख्या 48 गलत दर्ज किया गया है खारिज फरमाया जावे।

अपीलार्थीगण की ओर से धारा-5 परीसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें हुई देरी का कन्डोन किये जाने का अनुरोध किया।

मेन्टेनेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब अपील का देते हुए प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की जो इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने न्यायालय हाजा में वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित रूपारसे बनाम मंगलाराम वगेरा वाद अन्तर्गत धारा 88,91, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्त अनुवान की यह अपील पेश किया जाना सर्वथा महत्वहीन है। अपीलान्टस द्वारा पेश की गई उपरोक्त अनुवान की अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि नगर विकास न्यास जोधपुर के नाम से खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा नगर विकास न्यास, जोधपुर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। इस पद में उपरोक्त वर्णित तथ्यों अनुसार नगर सुधार न्यास जोधपुर जो कि वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से है जिसके आज्ञापक/मेन्डेन्ट्री उपबन्धों के अनुसार इस अपील में पूर्ण प्रभावित होने की वजह से अति आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए अपीलान्ट की यह अपील मेन्टेनेबल ही नहीं है तथा खारिज किये जाने काबिल है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि नियमानुसार कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तित हो चुकी है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय भूमि से सम्बंधित राजस्व न्यायालय को नियमानुसार इस प्रकार की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। इसलिए भी अपीलान्टस् की यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है। धारा 90वी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम से राजस्व मूल रेकर्ड जमाबंदी में खातेदार दर्ज करने का दिनांक 02.09.2008 को आदेश प्रसारित किया गया जो आदेश वर्तमान तक बहाल है तथा प्रभाव में एवम अंतिम है तथा इस आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 907 गांव बोरानाडा दिनांक 12.09.2008 स्वीकृत के आधार पर राजस्व

सहायक कलक्टर एवं म्यूटेशन अधिकारी,  
लणी

मूल रेकर्ड जमाबंदी में नगर सुधार न्यास जोधपुर का नाम वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित रेकर्ड खालेदार के रूप में दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में निम्नानुसार उपरोक्त वर्णित प्रकार से कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है इसलिए भी अपीलांतस द्वारा पेश की गई अपील अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 48 स्वीकृत होने के बाद विवादित भूमि से सम्बंधित नामान्तरकरण संख्या 605, 858 व 907 स्वीकृत हुए हैं जिनमें अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 48 नियमानुसार मर्ज हो चुका है तथा बाद में इन नामान्तरकरणों के विरुद्ध अपीलांतस द्वारा अपील नियमानुसार मेन्टेनेबल नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 48 के बाद स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 605 दिनांक 18.06.2004 के कॉलम नम्बर 14 में वर्णित अनुसार उप तहसीलदार झंवर के बंटवाडा आदेश दिनांक 14.06.2004 की पालना में स्वीकार होना प्रमाणित है उक्त बंटवाडा आदेश को अपीलांतस द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रसारित बंटवाडा आदेश के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश नामान्तरकरण अपील के माध्यम से सुनवाई नहीं की जा सकती है। इसलिए भी यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है।

अन्त में जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर निवेदन किया कि अपील क्षेत्राधिकार विहित होने तथा वर्णित नियमों व कारणों को बिनाय पर प्राथमिक स्तर से खारिज किया जाना न्यायोचित है इसलिए अपीलांतस की अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

अपील बहस हेतु रखी गयी। अपील में बहस करने हेतु अपीलांतस अधिवक्ता को रूक-रूक कर आवाजे लगवाई गई अपीलांतस की ओर से कोई उपस्थित। रेस्पोजेन्ट्स की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नवरतन चारण उपस्थित।

रेस्पोजेन्ट्स विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी। रेस्पोजेन्ट्स विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना-पत्र व प्रारम्भिक आपत्तियों को दौहराते हुए तर्क दिया कि घोषणा का वाद लम्बित रहते हुए संक्षिप्त कार्यवाही के म्यूटेशन प्रकरण में कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी उचित है। यदि विवादग्रस्त भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है तो उस पर राजस्व न्यायालयों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा 90 बी एल.आर.एक्ट. में विद्यमान अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त में भी प्रभावशील है। धारा 90 बी के तहत आदेश के विरुद्ध धारा 90बी उप धारा 10 अनुसार अन्य न्यायालय को सुनवाई सिविल न्यायालय करने का अधिकार नहीं होगा उप धारा 7 के अनुसार 90 बी के तहत प्रसारित आदेश के विरुद्ध सिर्फ संभागीय आयुक्त के सक्षम ही अपील में सुनवाई की जा सकेगी का प्रावधान है। नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील में स्वत्वों का निस्तारण नहीं कराया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति अपने स्वत्वों के प्रति 23 वर्षों तक सोता रहे और कोई कार्यवाही नहीं करे तो ऐसे व्यक्ति को स्वत्वों का प्रमाण भी कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है। अपील म्याद बाहर है व अपील खारिज किया जाना विधिवत् है। अपील पेश करने में समय असाधारण विलम्ब उचित रूप से एवं संतोषजनक ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया- सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपस्थित/माफ नहीं कर सकता है। मामला म्याद बाहर है इसलिए खारिज योग्य अपील है। निश्चित म्याद में प्रकरण पेश नहीं होने पर बेचान एस.सी. से नोन एससी के पक्ष में होने पर कोई बेचान होते हुए भी म्याद की बध्याता लागू होगी। बेचाननामा अनरजिस्टर्ड जिसका प्रतिफल केवल 99/- रुपये है का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है तथा यह बेचाननामा अपंजीकृत होने के कारण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में खरीददार उस जमीन का मालिक समझा होगा। यदि कोई बेचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत है तथा उसके बेदखली की म्याद समाप्त हो चुकी है तो उक्त म्यूटेशन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। भूमि का पिता द्वारा बेचान किये जाने पर पुत्र उस बेचान से बाध्य है जब तक वह उस बेचान को निरस्त नहीं करवा देता। अपीलार्थी ने आपत्ति उठाई थी अपीलार्थी ने अपील पेश करने से पूर्व अनुमति नहीं ली इसलिए यह अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलांत ने विलम्ब माफ करने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया। विलम्ब शमन के आवेदन की अनुपस्थिति में न्यायालय को डिफ्री अपास्त करने हेतु पेश आवेदन स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त अपील खारिज करना विधिवत् है।



सहसचिव-कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लुगो

रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता की ओर से इन सभी तर्कों के समर्थन में निम्नांकित नजीर पेश:-  
RRD 2005 Page 539 Para 6&7, RRD 1988 Page 212, RRT 2014(1) page 11  
Para 24, Section 90(B) L.R. Act, RRD 2002 Page 527 Para 6, RRT 2007 (2)  
Page 939 S.C., RRT 2006 (1) Page 383(1) SC, RRD 1997 Page 237 Para 5,  
RRD 1979 Page 9 Raj.High.Court (D.B.), RRD 1988 Page 610, RRT 2009-  
10 (Suppli.) Page 99, RRT 2009(1) Page 432 S.C., RRT 2009-  
10(Supplementary) page 1 S.C., RRD 2005 Page 150 Para 10 & 11 प्रस्तुत  
की गई।

हमने प्रस्तुत अपील, धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना-पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियां, नामान्तरकरण, राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात्, बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट्स विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिये गये तर्कों एवं तर्कों के समर्थन में प्रस्तुत कागूनी नजीरो एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 13.01.1972 का जो उप-सरपंच ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा मुकिया पि. वीरम कौम भील सा. देह खातेदार होने पर ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322 में रूपाराम, कानाराम पि. मुकया जाति भील सा.देह खातेदार के नाम अंकन किया गया इसी नामान्तरकरण में बैचान रूपये 95/- का अंकन करते हुए मंगलाराम व सिवाराम पि. रावतराम जाति भील सा.देह खातेदार दर्ज किया हुआ है। उक्त नामान्तरकरण में वंशावली दर्शायी गयी है जिसमें वीरमराम के दो पुत्र मुकया व रावतराम बताये गये हैं जिनमें मुकया के रूपाराम, कानाराम एवं रावतराम के मंगलाराम, सिवाराम बताये गये हैं।

उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बोरानाडा व पटवारी हल्का द्वारा भू-राजस्व के नियमों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् तरीके से नामान्तरकरण पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी नहीं की गई है।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 11.09.2008 व न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास जोधपुर के प्रकरण संख्या 1818/2008 निर्णय दिनांक 02.09.2008 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 907 के जरिये नगर विकास न्यास जोधपुर के नाम दर्ज है उक्त नामान्तरकरण उप तहसीलदार झंवर द्वारा पारित किया गया है।

ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 322 व 322/1 की भूमि को अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कृषि भूमि से आबादी भूमि में संपरिवर्तन हो चुकी है। अपील में नगर विकास न्यास जोधपुर (वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर) को पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही संपरिवर्तन करवाने हेतु भू-धारक को पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील में सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में अपील विधि द्वारा बाधित है व चलने योग्य प्रतीत नहीं होती है। धारा 5 लिमिटेशन के तहत जो प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है जिसमें नकल लेने की दिनांक से 90 दिवस के अवधि बीत जाने के पश्चात् यह अपील पेश की गई है इसलिए लिमिटेशन अपील में समाप्त हो चुकी है इस कारण भी अपील चलने योग्य नहीं है।

ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322 से सम्बंधित एक वाद संख्या 69/2010 बअनवान रूपाराम वगैरा बनाम मंगलाराम अन्तर्गत धारा 88,91,92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेस्पोडेन्ट्स की ओर से


एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 9 सपटित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रारंभ किया गया था जिसे न्यायालय ने दिनांक 25.03.2011 को स्वीकार करते हुए अपीलांट्स के पक्षों को इस आधार पर खारिज किया गया कि "क्योंकि विवादित भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है और नगर सुधार न्यास (जे डी ए) के खाते में दर्ज है अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विधि द्वारा बाधित होने के कारण दावा खारिज किया जाता है।"

अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील 13.01.1972 से 45 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है जिसका कोई समुचित कारण अपीलांट्स की ओर से अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं 45 वर्ष अवधि के अन्दर कई नामान्तरकरण स्वीकृत हुए तथा कृषि भूमि का संपरिवर्तन भी करवाया गया लेकिन इसके बारे में अपीलांट्स की ओर से अपील में किसी प्रकार खण्डन नहीं किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स की जानकारी होने के बावजूद भी अपील इन निम्न




आधारो पर प्रस्तुत की जो चलने योग्य नहीं है। एवम् अपील में भी विद्वान अधिवक्ता व अपीलांट्स की ओर से किसी प्रकार की पैरवी भी नहीं की जा रही है इससे यह जाहिर होता है कि केवलमात्र न्यायालय का समय खराब करने के एवज से यह अपील प्रस्तुत की गयी है जो न्यायोचित नहीं है।

सम्पूर्ण पत्रावली के विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपीलांटस् की अपील खारिज की जाती है।

  
गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिवक्ता एवं असूजाड अधिकारी,  
लूणी



आदेश आज दिनांक 28/6/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सौंपा गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

  
गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिवक्ता एवं असूजाड अधिकारी,  
लूणी